

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10-5-18	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में अग्रसेवा केंद्र कोरसीना में पेश हुई पक्षकारानों को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21-2-2011 के द्वारा अधिधित आराज्य को सिवाय चक्र घोषित कर कर्षक राज लेने का आदेश दिया गया है। उर्षी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक 9 नियम 13 दिनांक 22-2-12 को प्रस्तुत किया गया है जो पक्ष सीमा अधिनियम के अनुसार यदि बाहर प्रस्तुत किया गया है। धारा 5 के प्रावधान में कोई उचित कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में आदेश 9 नियम 13 का प्रावधान यदि बाहर होने से रखा किया जाता है। पत्रावली फॉर्मल सुमा 2 चोकर दल रजिस्ट्रार नम्बर से काम है आदेश माजम आम में सुनाया गया है।</p>	

10/5  
 उपखण्ड अधिकारी  
 सांभरलेक